

फा.सं. 31011/3/2022-स्था.क-IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(कार्मिक नीति प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 14 जनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के अंतर्गत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा यात्रा हेतु स्वीकार्यता के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के अंतर्गत प्रीमियम/विशिष्ट ट्रेनों द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के संबंध में इस विभाग के दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/8/2017-स्था.क-IV का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. इस विभाग को विभिन्न कार्यालयों/व्यक्तियों से छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी विभिन्न प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में अनेक संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं।

3. इस विभाग द्वारा व्यय विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार, एलटीसी के अंतर्गत मौजूदा राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के अलावा, अब तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:-

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार)	प्रीमियम ट्रेनों (अर्थात् राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों) में एलटीसी के लिए यात्रा पात्रता
	शताब्दी या इसी प्रकार की ट्रेनें
	राजधानी टाइप या इसी प्रकार की ट्रेनें
स्तर 12 और उससे ऊपर	एकजीक्यूटिव श्रेणी
स्तर 6 से 11	चेयर कार
स्तर 5 और उससे नीचे	चेयर कार

4. दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/8/2017-स्था.क-IV के अन्य निबंधन एवं शर्तें समान रहेंगी।

जारी....

-2-

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(जी.के. रजनीश)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 2304 0341

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
